सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 पौष, 1941 (श०)

संख्या- 1065 राँची, मंगलवार, 24 दिसम्बर, 2019 (ई०)

### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

---

आदेश

18 दिसम्बर, 2019 ई०।

**संख्या- 12/लि०से०-03-01/2019 का.10121 --** झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के श्री त्रिदीप चक्रवर्त्ती, वरीय सचिवालय सहायक, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची (तत्कालीन लिपिक, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची) के द्वारा माह सितम्बर 2016 से नवम्बर 2018 तक कुल रू०-6,91,831/- (छः लाख एकानवे हजार आठ सौ एकतीस रूपये) मात्र अधिक वेतन की निकासी अवैध रूप से किये जाने तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची द्वारा उनके विरूद्ध विहित प्रपत्र 'क' में आरोप गठित किया गया, जिसमें श्री चक्रवर्त्ती के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

**<u>आरोप संख्या-1</u>**

(क) श्री त्रिदीप चक्रवर्त्ती, लिपिक को योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के कार्यालय आदेश संख्या-09/वि0, दिनांक-22.01.2016 द्वारा लेखा शाखा में पदस्थापित किया गया। पुनः विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-83/वि0, दिनांक-02.06.2016 द्वारा विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक वेतन विपत्र तैयार करने एवं इससे संबंधित डाटा इन्ट्री का कार्य आवंटित किया गया।

(ख) श्री त्रिदीप चक्रवर्त्ती द्वारा माह जनवरी 2016 से नवम्बर 2018 तक अपने आवंटित कार्यों का निष्पादन किया गया।

(ग) श्री रंगनाथ तिवारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विभागीय रोकड़ पंजी एवं अभिश्रव जाँच के क्रम में माह नवम्बर 2018 एवं इसके पूर्व के वेतन विपत्रों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में पाया गया कि श्री त्रिदीप चक्रवर्त्ती द्वारा अपना वास्तविक मूल वेतन माह जुलाई-अगस्त 2017 से रू० 37500/- (सैंतीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र से बढ़ाकर मूल वेतन रू0 62,200 (बासठ हजार दो सौ रूपये) मात्र पर विगत कई महीनों से विपत्र तैयार किया गया एवं अधिक वेतन की निकासी की गयी है। इस वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी श्री तिवारी द्वारा दिनांक-03.12.2018 को हस्ताक्षरित पीत पत्र के माध्यम से संयुक्त सचिव (लेखा), योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को दी गयी।

(घ) श्री चक्रवर्त्ती द्वारा अपने कार्यकाल में स्वयं के वेतन से अधिक निकासी एवं अन्य विपत्रों में अधिक/कम भुगतान किये जाने हेतु विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-169/वि० दिनांक-06.12.2018 द्वारा श्रीमती साधना सिन्हा, संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में जाँच समिति का गठन किया गया।

(ङ) जाँच प्रतिवेदन की प्रत्याशा में श्री रंगनाथ तिवारी, अवर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-3128/वि0, दिनांक-14.12.2018 द्वारा श्री चक्रवर्त्ती को अधिक निकासी की गई वेतन के रूप में अनुमानित राशि रूपये 6,60,254/- (छः लाख साठ हजार दो सौ चौवन रूपये मात्र) को दिनांक-20.12.2018 तक ट्रेजरी चलान के माध्यम से राजकोष में जमा कर विभाग को सूचित करने तथा 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर कारण-पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(च) श्री चक्रवर्त्ती द्वारा दिनांक-08.01.2019 को हस्ताक्षरित आवेदन द्वारा दिनांक-09.12.2018 को सरकारी चलान के माध्यम से रू0-55,000(पचपन हजार रूपये) मात्र जमा करने की सूचना अवर सचिव (लेखा) को दी गई तथा शेष राशि की वसूली वेतन से करने का अनुरोध किया गया। साथ ही श्री चक्रवर्त्ती द्वारा किये गये कृत्य के लिए क्षमा मांगते हुए आश्वासन दिया गया कि जैसे-जैसे राशि की व्यवस्था होगी, उसे सरकारी कोष में जमा कर दिया जायेगा।

(छ) विभागीय स्तर पर गठित जाँच समिति द्वारा माह सितम्बर 2016 से नवम्बर 2018 तक श्री चक्रवर्त्ती द्वारा कुल रू0 6,91,831/- (छः लाख एकानवे हजार आठ सौ एकतीस रूपये) मात्र की अवैध वेतन निकासी के संबंध में अंतरिम जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रतिवेदन के आधार पर नियमतः श्री चक्रवर्त्ती का सितम्बर 2016 से नवम्बर 2018 तक का वेतन रू0 12,71,100/-(बारह लाख एकहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र होता है, जिसे अवैध रूप से वेतन के रूप में रू० 19,62,931/-(उन्नीस लाख बासठ हजार नौ सौ एकतीस रूपये) मात्र की निकासी कर ली गई है।

(ज) उक्त प्रतिवेदन के क्रम में विभागीय पत्रांक 344/वि० दिनांक-08.02.2019 द्वारा श्री चक्रवर्त्ती से 03 (तीन) कार्य दिवस के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया है। श्री चक्रवर्त्ती द्वारा दिनांक-14.02.2019 को हस्ताक्षरित आवेदन में स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा भूलवश वेतन से अधिक राशि की निकासी कर ली गई है, जिसके लिये क्षमा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही शेष राशि की वसूली के लिए अपने मासिक वेतन से रू0 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) प्रति माह कटौती करते हुए वसूल करने का अनुरोध किया गया है।

**आरोप संख्या-2**

(क) श्री चक्रवर्त्ती के उक्त कृत्य द्वारा रू0 6,91,831/- (छः लाख एकानवे हजार आठ सौ एकतीस रूपये) मात्र की सरकारी राशि की अवैध निकासी कर गबन किया गया है।

**आरोप संख्या-3**

(क) श्री चक्रवर्त्ती द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता है तथा ऐसा कार्य किया है, जो एक सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है। यह सरकार आचार नियमावली के नियम 3 (1) (i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचारण है।

2. उपर्युक्त आरोपों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरांत योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या-909/वि०, दिनांक-03.04.2019 के द्वारा श्री चक्रवर्त्ती के विरूद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया तथा श्री नागेन्द्र चौधरी, उप सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं श्री रंगनाथ तिवारी, अवर सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री चक्रवर्त्ती के विरूद्ध विहित प्रपत्र 'क' में गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

4. श्री चक्रवर्त्ती के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा योजना-सह-वित्त विभाग के द्वारा की गयी तथा श्री चक्रवर्त्ती को झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के अधीन सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप श्री चक्रवर्त्ती द्वारा किये गये घोर कदाचार को दृष्टिपथ में रखते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 14 (xi) में प्रावधानित दण्ड (सेवा से बर्खास्तगी) की अनुशंसा के साथ नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करने हेतु विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचिका (संख्या-13/वि० का० संचा०-04/19 तथा संचिका संख्या 1/स्था० (विविध)-8/18) को मूल में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी गयी।

5. योजना-सह-वित्त विभाग से प्राप्त संचिका मेँ श्री चक्रवर्त्ती के संबंध में की गयी कार्रवाई, उनके विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं उक्त विभाग के द्वारा की गई अनुशंसा की समीक्षा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा की गयी। सम्यक् समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री चक्रवर्ती को अवशेष राशि दिनांक-20.09.2019 तक जमा करने का निदेश दिये जाने एवं उक्त अवधि में राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा श्री चक्रवर्त्ती द्वारा सरकारी राजकोष में निर्धारित अवधि में शेष राशि जमा करने के पश्चात् श्री चक्रवर्त्ती को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 14 (xi) में प्रावधानित शास्ति "सेवा से बर्खास्तगी" के बिन्दु पर कार्रवाई करने हेतु श्री चक्रवर्त्ती से कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

6. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में इस विभाग के पत्रांक-6676 दिनांक-22.08.2019 के द्वारा श्री चक्रवर्त्ती को अवशेष राशि दिनांक-20.09.2019 तक एकमुश्त चालान के माध्यम से सरकारी राजकोष में जमा करने का निदेश दिया गया। उक्त संबंध में श्री चक्रवर्त्ती द्वारा दिनांक-20.09.2019 को आवेदन उपलब्ध कराते हुए अवैध रूप से निकासी की गयी कुल राशि रू0-6,91,831/- (छः लाख एकानवे हजार आठ सौ एकतीस रूपये) मात्र राजकोष में जमा किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया।

7. विभागीय पत्रांक-8636 दिनांक-25.10.2019 के द्वारा श्री चक्रवर्त्ती को उनके विरूद्ध प्रस्तावित शास्ति "सेवा से बर्खास्तगी" के संबध में एक पक्ष के अंदर कारण-पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त के क्रम में श्री चक्रवर्त्ती द्वारा दिनांक-08.11.2019 को अपना कारण-पृच्छा/स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की गयी एवं श्री चक्रवर्त्ती से प्राप्त कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं पाया गया। अतएव सम्यक् समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री चक्रवर्ती से प्राप्त कारण-पृच्छा/स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया तथा श्री चक्रवर्त्ती को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 14(xi) में प्रावधानित दण्ड "सेवा से बर्खास्तगी" की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

8. अतः श्री त्रिदीप चक्रवर्त्ती, वरीय सचिवालय सहायक, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

**अजय त्रिवेदी,**
सरकार के अवर सचिव।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1065 -- 50